पश्चिमी भाग माफिक नजरीनक्शानुसार व प्रतिवादी संख्या 3 धनराज के हक बंट कब्जा खातेदारी मौजा बोड़िन्द खुर्द का खेत खसरा नंबर 278 रकबा 4.8238 हैक्टेयर में से 1.6079 हैक्टेयर दक्षिणी पश्चिमी भाग माफिक नजरीनक्शानुसार व प्रतिवादी संख्या 7 व 9 से 10 कमश कमलकिशोर , भगवान, चंदा देवी के संयुक्त हक बंट कब्जा काश्त एवं सहखातेदारी में मौजा बोड़िन्द खुर्द का खेत खसरा नंबर 282 रकबा 3.8283 हैक्टेयर में से 1.2761 हैक्टेयर दक्षिणी पूर्वी भाग माफिक नजरीनक्शानुसार व प्रतिवादी संख्या 11 से 13 कमश प्रेमसुख, सुरेश एवं परमा देवी के संयुक्त हक बंट कब्जा काश्त एवं सहखातेदारी में मौजा मौजा बोड़िन्द खुर्द का खेत खसरा नंबर 282 रकबा 3.8283 हैक्टेयर में से 1.2761 हैक्टेयर उतरी पूर्वी भाग माफिक नजरीनक्शानुसार व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के अन्य खेताय बंट में आकर पूर्व में खातेदारी अलग दर्ज हो जाने से मुतदाविया खेतायों में कोई भूमि नहीं रखी गई है व प्रतिवादी संख्या 4 से 6 कमश कौशल्या , चंदा व ज्याणी रिंणवा जो वादी संख्या 2,3 की बहने एवं माता है इनके हक बंट में कोई भूमि नहीं रखी गई है। प्रतिवादी संख्या 8 कैलाश पुत्र भागरीथ के नौओलाद फोत होने से कोई भूमि नहीं रखी गई है। प्रतिवादी संख्या 14 को भूमियां बैंक के रहन होने के कारण परफोमा पक्षकार बनाया गया है तथा प्रतिवादी संख्या 15 राजपैरोकार होने के कारण पक्षकार बनाया जाकर वाद पत्र में सलंग्न माफिक नजरीनक्शानुसार घोषित की जाकर खातेदारी दर्ज की जाने की डिकी सादर फरमाने का अनुतोष चाहा गया है। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 कमश कन्हैयालाल व रामकुंवार व प्रतिवादी संख्या 4 से 6 कमश कौशल्या , चंदा व ज्याणी रिंणवा के हक बंट में कोई भूमि नहीं रखी गई है इसलिये मामला भूमि अन्तरण का प्रतीत होने से इन प्रतिवादीगण का नियमानुसार स्टाम्प शुल्क राजकोष में अदा कराया जाना न्यायोचित समझते है। अतः मौजा जायल में खेत खसरा नंबर 248 रकबा 2.9380 हैक्टेयर, खसरा नंबर 224 रकबा 5.8679 हैक्टेयर , मौजा बोड़िद खुर्द का खेत खसरा नंबर 282 रकबा 3.8283 हैक्टेयर, खेत खसरा नंबर 278 रकबा 4.8238 हैक्टैयर भूमि का बंटवाड़ा पक्षकारान् के मध्य माफिक वादपत्र के पैरा संख्या 6 के क से छ के अनुसार एवं साक्ष्य सबूत एवं ईकबालिया जबाब के अनुसार हम वादीगण का वाद स्वीकार कर निम्न प्रकार से अंतिम डिकी किया जाना उचित समझते हैं।

– : : आदेश : : –

यत् वादीगण का वाद घोषणा हक खातेदारी एवं बंटवारा अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया मौजा जायल में खेत खसरा नंबर 248 रकबा 2.9380 हैक्टेयर, खसरा नंबर 224 रकबा 5.8679 हैक्टेयर , मौजा बोड़िद खुर्द का खेत खसरा नंबर 282 रकबा 3.8283 हैक्टेयर, खेत खसरा नंबर 278 रकबा 4.8238 हैक्टैयर भूमि का बंटवाड़ा पक्षकारान् के मध्य माफिक वादपत्र के पैरा संख्या 6 के क से छ के अनुसार एवं साक्ष्य सबूत एवं ईकबालिया जबाब के अनुसार हम वादीगण का वाद स्वीकार कर निम्न प्रकार से अंतिम डिकी किया जाता है।

1. वादी सत्यनारायण के हक बंट कब्जा काश्त एवं खातेदारी में मौजा जायल का खेत खसरा नंबर 248 रकबा 2.9380 हैक्टेयर पूरा एवं खसरा नंबर 224 रकबा 5.8679 हैक्टेयर में से 2.

Scanned with CamScanner

0218 हैक्टेयर पश्चिमी भाग माफिक नजरीनक्शानुसार रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।

संख्या 2 प्रहलाद व्यास के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा जायल का खेत खसरा नंबर 224 रकबा 5.8679 हैक्टेयर में से 0.9712 हैक्टेयर दक्षिणी पूर्वी भाग माफिक नजरीनक्शानुसार एवं मौजा बोड़िन्द खुर्द का खेत खसरा नंबर 278 रकबा 4.8238 हैक्टेयर में से 3.2159 हैक्टेयर पूर्वी भाग माफिक नजरीनक्शानुसार रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।

वादी संख्या 3 रामस्वरूप के हक बंट कब्जा काश्त खातेदारी में मौजा जायल का खेत खसरा नंबर 224 रकबा 5.8679 हैक्टेयर में से 1.9749 हैक्टेयर उतरी पूर्वी भाग माफिक नजरीनक्शानुसार तथा मौजा बोड़िन्द खुर्द का खेत खसरा नंबर 282 रकबा 3.8283 हैक्टेयर में से 1.2761 हैक्टेयर पश्चिमी भाग माफिक नजरीनक्शानुसार रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।

प्रतिवादी संख्या 3 धनराज के हक बंट कब्जा खातेदारी में मौजा बोड़िन्द खुर्द का खेत खसरा नंबर 278 रकबा 4.8238 हैक्टेयर में से 1.6079 हैक्टेयर दक्षिणी पश्चिमी भाग माफिक नजरीनक्शानुसार रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।

5. प्रतिवादी संख्या 7 व 9 से 10 कमश कमलकिशोर / भगवान, चंदा देवी के संयुक्त हक बंट कब्जा काश्त एवं सहखातेदारी में मौजा बोड़िन्द खुर्द का खेत खसरा नंबर 282 रकबा 3.8283 हैक्टेयर में से 1.2761 हैक्टेयर दक्षिणी पूर्वी भाग माफिक नजरीनक्शानुसार रखा जाकर सहखातेदार घोषित किया जाता है।

6. प्रतिवादी संख्या 11 से 13 कमश प्रेमसुख, सुरेश एवं परमा देवी के संयुक्त हक बंट कब्जा काश्त एवं सहखातेदारी में मौजा मौजा बोड़िन्द खुर्द का खेत खसरा नंबर 282 रकबा 3.8283 हैक्टेयर में से 1.2761 हैक्टेयर उतरी पूर्वी भाग माफिक नजरीनक्शानुसार रखा जाकर सहखातेदार घोषित किया जाता है।

7. प्रतिवादी संख्या 1 व 2 कमश कन्हैयालाल व रामकुंवार व प्रतिवादी संख्या 4 से 6 कमश कौशल्या , चंदा व ज्याणी रिंणवा के हक बंट में कोई भूमि नहीं रखी गई है। मामला भूमि अन्तरण को प्रतीत होने से इन प्रतिवादीगण का नियमानुसार स्टाम्प शुल्क राजकोष में अदा कराये जाने पर ही राजस्व रेकर्ड में अलग दरामद हो।

8. प्रतिवादी संख्या 8 कैलाश पुत्र भागरीथ के नाऔलाद फोत होने से कोई भूमि नहीं रखी गई है।

9. वाद पत्र में संलग्न नजरीनक्शा निर्णय का अभिन्न भाग माना जावेगा।

10. बैंक के रहन खसरान् के संबंध में संबंधित बैंक को सूचित हो। जो कि यथावत बैंक के रहन रहेंगें। (रहन की स्थिति में)

निर्णय आज दिनांक 28.8.22 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(ओमप्रकाश वर्मा)
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
जायल–(नागौर)

Scanned with CamScanner